

Jharkhand Municipal
SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 601096170321101342

Date : 17-03-2021

प्रभावी : 2 2020-2021

श्री:श्रीमती:सुश्री : Rakesh kumar mahato S/O deepak kumar mahato,
मोहल्ला : Ghutusai seraikella
seraikella kharsawan , 833219
9905718042

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0010000362000M0 वार्ड सं० 1 हुआ है, आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रूप० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
		13.00
1.	गृह कर	0.00
2.	जल कर	0.00
3.	शांतिवालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	13.00
	कुल राशि (प्रति तिमाही)	



To be signed by the Applicant

संदर्भ:-

1. कर निर्धारण की सूची, SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT Website, sarai.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली नोटिफिकेशन 11-1 के आलेख में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ती कर का 50% होगा। प्रदायक दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निम्न को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
3. प्रत्येक विद्युत कर्म में सम्पत्ती कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण भूति कर का भुगतान विद्युत वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय पूर्व के विहित समय अथि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपका स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-साह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गतता पाए जाने पर निम्नमावली के अंक 15.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ती कर इन हमरतों/ढाँचों को कोई कम्प्यूटरी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने नर्सिकों / दस्तावेजों को कोई कम्प्यूटरी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये हालिया नवी का आखिरी अंक 5/8.7/8 है तो यह विहित संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.